न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1856–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 157/निगरानी/2009–14

.....

1–श्रीमती सिया बाई पत्नी राधेश्याम
निवासी ग्राम रजवाड़ा तहसील बरेली जिला रायसेन
2–श्रीमती राजाबाई पत्नी रघुवरसिंह पुत्री तुलसीराम
निवासी ग्राम सिमरोद तहसील बरेली जिला रायसेन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

केशव सिंह पुत्र रघुबर सिंह
निवासी ग्राम सिमरोद तहसील बरेली जिला रायसेन

..... अनावेदक

.....

श्री ओ0पी0दुबे, अभिभाषक–आवेदकगण
मेहरबानसिंह, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बनियाखेड़ी तहसील बरेली स्थित भूमि सर्वे कमांक 74/1 रकबा 5.76 एकड़ एवं 74/3 रकबा 3.90 एकड़ कुल रकबा 9.66 एकड़ की भूमिस्वामी आवेदिका कमांक 2 थी । उनके द्वारा सहमति से नामान्तरण पंजी कमांक 15 पर पारित आदेश दिनांक 20–3–2001 से आवेदिका कमांक 1 का नाम अपने साथ दर्ज कराया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदिका कमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–1–2009 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखते हुये अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर वाद व्यवहार न्यायालय में संस्थित किया जाता है और व्यवहार न्यायालय में वाद संस्थित हो जाने से उसके निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाती है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के निर्देश देने में विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक अपने पिता से अपना हिस्सा प्राप्त कर चुका है, ऐसी स्थिति में उसे पुनः प्रश्नाधीन भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अतः उसे निगरानी प्रस्तुत करने की लोकस स्टैण्डाई नहीं थी ।

इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाकर नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 20–3–2001 निरस्त कर दिया जाता है तब भी प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका कमांक 2 को प्राप्त होगी, अनावेदक को नहीं, क्योंकि अनावेदक सहखातेदार नहीं है और उसे प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका कमांक 2 की पैतृक संपत्ति है और अनावेदक आवेदिका कमांक 2 का पुत्र है अतः प्रश्नाधीन भूमि में उसे अधिकार प्राप्त है । यह भी कहा गया कि बटवारा पिता, माता एवं पुत्रों के बीच अथवा सहखातेदारो के मध्य होता है, परन्तु अनावेदक न तो सहखातेदार है और न ही मॉ और पुत्री का संबंध है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि कलेक्टर द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी जो कि अनावेदक के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 29–1–2009 को यथावत्

रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश अपील किये जाने की अनुमति के संबंध में है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक आदेश है, कारण अनावेदक केशवसिंह स्वर्गीय भूमिस्वामी का पुत्र होकर प्रकरण में पक्षकार है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उसे बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश का बिना सूक्ष्म अवलोकन किये उनके समक्ष प्रचलित अपील को अभिलेखागार में जमा किये जाने के आदेश दिनांक 20–6–2014 को दिये गये हैं । इस प्रकार की स्थिति को देखते हुये प्रकरण में यह आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आगे नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेजा जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–01–2009 स्थिर रखा जाकर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर